15/7/19 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलांट उपस्थित। वकील रेस्पोडेंट अनुपस्थित। इंतजार किया परन्तु रेस्पो. पक्ष से कोई उपस्थित नहीं। लिहाजा अपीलांट वकील की एकतरफा बहस सुनी गई। बहस में इन्होंने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराया। अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेन्टस ने स्थाई निषेधाज्ञा का एक वाद पेश किया हुआ है जिसमें धारा 212 RT Act का आवेदन भी पेश किया जिसपर अधी० न्यायालय ने दिनांक 17-5-16 को प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर अस्थाई निषेधाज्ञा विप्रार्थी अपीलांट के विरुद्ध जारी की जिससे हालात अपील प्रस्तुत हुई।

राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

जमाबंदी संवत 2069 से 72 ग्राम सांजन की नवी खाता सं 45 ख०नं० 4 रकबा 154 बीघा में रेस्पो० नं 2 से 5 तथा अपीलांट 2 से 7 सहखातेदार रूप में अंकित है। अपीलांट सं० 2 से 7 का वादग्रस्त भूमि में 1/2 हिस्सा, रेस्पो० सं 2 व 3 का 1/4 हिस्सा तथा रेस्पो० 4 व 5 का 1/8-1/8 अर्थात 1/4 हिस्सा स्पष्टतः अंकित है। इसका तात्पर्य है कि वर्तमान में अपीलांटस व रेस्पोडेंट वादग्रस्त भूमि के रिकॉर्डेड सहखातेदार हैं। सह-खातेदारी भूमि के संबंध में विधि का स्पष्ट विधान है कि भूमि के प्रत्येक इंच पर प्रत्येक सहखातेदार का हक/हिस्सा निहित है। इस प्रकार के अनेक मामलों में न्यायिक दृष्टांत प्रतिपादित करते हैं कि सहखातेदारों में आपस में अस्थाई निषेधाज्ञा एक दूसरे के विरुद्ध जारी नहीं की जानी चाहिए। इस सिद्धांत एवं विधिक दृष्टांतों के आलोक में अपीलाधीन निर्णय दि. 17.5.2016 विधि विरुद्ध ठहरता है इसलिए इसे यथावत रखा जाना उचित नहीं है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दि 17.5.2016 अपास्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

Scanned by CamScanner